तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/3/21	अपीलाण्ट कानुराम ने एक प्रा. पत्र धा० 51 सी.पी.सी. के पेश किया। वकील मंडल ने आज न्यायालय में उपस्थिति नहीं देने का निर्णय लिया है। पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 22/3/21 को पेश हो।	
22/3/21	अपीलाण्ट व अधि. अपीलाण्ट उप.। अधि. अपीलाण्ट की रेस्पोडेण्ट की ओर से पेश जवाब/बहस की प्रति दी गई। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 25/3/21 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर, पाली	कानुराम
25.03.2021	वकील अपीलाण्ट उपस्थित। रेस्पोडेण्ट अनुपस्थित। अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. के तहत मय दस्तावेज दौराने बहस पेश किया, जो शामिल मिसल हो। अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली एवं रेस्पोडेण्ट के जवाब तथा वकील अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जैर अपील नामान्तरकरण जिस आदेश की पालना में भरा गया है, उक्त आदेश की अपील सन् 2014 में ही सक्षम न्यायालय कर दी गई थी, इससे स्पष्ट है अपीलाण्ट उपरोक्त प्रकरण में वर्णित आदेश एवं उसके परिणामों से भली–भांति अवगत था, लिहाजा यह अपील स्पष्टरूप से म्याद बाहर प्रतीत होती है, फिर भी न्यायहित में प्रस्तुत अपील पर निर्णय पारित करने से पूर्व इसके गुणावगुण पर विचारण हेतु अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील नायब तहसीलदार सोजत द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1054 दिनांक 18.11.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार सोजत के जवाब दिनांक 01.03.2021 से स्पष्ट है कि जैर अपील नामान्तरकरण इस न्यायालय के राजस्व विविध प्रकरण संख्या 03/2011 में पारित आदेश दिनांक 30.10.2014 की पालना में दर्ज किया है तथा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2014 की प्रथम अपील प्रथम अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के समक्ष अपील संख्या 29/2014 अपीलाण्ट द्वारा पेश की गई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 16.08.2018 के द्वारा इस न्यायालय को यथावत रखा गया है एवं अपीलाण्ट की प्रथम अपील को खारिज किया गया है तथा द्वितीय अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। इससे स्पष्ट है कि अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में दर्ज नामान्तरकरण के विरूद्ध प्रस्तुत की	

लगातार ---

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलकार हुक्म में
	गई है। उपरोक्त तथ्यों की ताईद अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपील के संलग्न प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम से एवं अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से भी होती है। इस संबंध में विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण के संबंध में अनुतोष उसी न्यायालय द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति के साथ मूल नामान्तरकरण भिजवाया जावे। पत्रावली शुमार फैसल होकर इस न्यायालय से नम्बर से कम हो। अति. जिला कलेक्टर, पाली	